P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-VIII April-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

उच्च शिक्षा का उन्नयन कैसे हो?

सारांश

तकनीकी तथा पेशेवर संस्थानों, विश्वविद्यालयों एव उनके संघटक महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति में राजनैतिक हस्तक्षेप, शीर्ष संस्थानों में शैक्षणिक पदों की रिक्तता, शाध पर कम ध्यान दिया जाना तथा शिक्षकों में कर्त्तव्यनिष्ठा का अभाव उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के मुख्य कारण रहे हैं। स्थिति में सुधार हेतु कार्य निष्पादन में आने वाली बाधाओं को हटाने के सुनियोजित तरीके से प्रयास करने होंग। संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना आवश्यक है। शोध के क्षेत्र में कुछ करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की जरूरत है। राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षोन्नयन हेतु शिक्षकों का श्रेष्ठ प्रदर्शन अपेक्षित है।

श्रीमती सुमन
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री कल्याण राजकीय पी.जी.
महाविद्यालय, सीकर,
राजस्थान

मुख्य शब्द : उच्च शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था।

प्रस्तावना

2 फरवरी, 1835 को ब्रिटिश सरकार ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 1780 पन्नों का एक प्रतिवेदन हाउस ऑफ कामन्स में पेश किया था। इस प्रतिवेदन में उस दिन लार्ड मैकाले द्वारा दिये गये भाषण का उल्लेख है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की पत्रिका कल्याण के मुताबिक आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुरक्षित ह। मैकाले ने अपने भाषण में कहा था, "भारत में 100 प्रतिशत साक्षरता है। यहाँ विद्या और शिक्षा दोनों दी जाती हैं, विद्या का तात्पर्य नैतिक शिक्षा से है। यहाँ 15800 हायर स्टडीज सेन्टर अर्थात विश्वविद्यालय हैं। यदि, हम भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं तो यहाँ को शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा।" मैकाले के भाषण को ध्यान में रखते हुये ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर डाला तथा अपनी हितसाधक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी। तब से लेकर अब तक वही शिक्षा व्यवस्था चलन में है। आजादी के बाद गठित अनगिनत समितियों तथा आयोगों की सिफारिशों के बावजूद इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया। लेकिन शिक्षानुरागी निराश नहीं हुए। उन्होंने सरकार पर व्यवहार्य पाठ्यक्रम तैयार करने की योजनायें तैयार करने बाबत दबाव बनाया। परिणामस्वरूप समय समय पर ऐसी योजनायें बनाई गह, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन की भौतिक तथा वित्तोय समीक्षा में निरन्तरता एवं उत्तरदायित्व बोध की कमी रही। कार्य निष्पादन में आई बाधाओं को हटाने के सुनियोजित तरीके से सुस्पष्ट प्रयास भी नही किये गये। ध्यान देने की बात है कि श्रेष्ठ योजना खराब निष्पादन की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। इससे शिक्षाविदों में उत्पन्न उत्साह एवं सुखानुभूति लुप्तप्राय हो गई। राष्ट्रीय आत्मविश्वास में अप्रत्याशित कमी आई। धीरे–धीरे शिक्षा ने गुणवत्ता का निम्न स्तर छू लिया।

आज महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा प्राचार्यों के चयन, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण, विद्यार्थी एवं शिक्षक परिषदों के चुनावों, शिक्षोन्नयन हेतु बजट आवंटन, स्थापना बाबत क्षेत्र निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप चरम पर है। विश्वविद्यालयों की आन्तरिक प्रबन्ध व्यवस्था तथा स्वायतत्ता सरकारी हस्तक्षेप से खतरे में है। इनके समक्ष सरकार के बजटीय संसाधनों के अपर्याप्त प्रावधान की समस्या भी बनी रहती है। जनसंख्या के दबाव, साधनों के अभाव, प्रशासनिक शिथिलता, सरकारी इच्छा शक्ति की कमी एवं आर्थिक सुधारों के नाम पर निजी क्षेत्र में खोली जाने वाली शिक्षण संस्थाओं में आशातीत वृद्धि हुइ है। इन निजी शिक्षण संस्थाओं में विश्वविद्यालयों के मानदण्डानुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किये जाने, स्तरीय पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की कमी, लेखों में पारदर्शिता की कमी तथा परीक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग की शिकायत आम बात है। प्रबन्ध संस्थानों, तकनीकी संस्थानों तथा पेशेवर पाठ्यक्रम वाली संस्थाओं का भी यही हाल है। मात्रा में विस्तार होता गया तथा गुणवत्ता में कमी आती गई। इसी कारण आज विश्व के 200 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की सूची में हमारे एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है।

हम ब्रिटेन से कोई सबक नहीं ले पाये जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में शिक्षा को छोड़कर सभी मदों पर बजट में कमी कर दी थी। ब्रिटेन न शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। हमने जर्मनी से भी कुछ नहीं सीखा जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने शत्रु ब्रिटेन के साथ विश्वविद्यालया पर बम न गिराने का अलिखित समझौता किया और उसका अक्षरशः पालन किया। शिक्षा के प्रति इस अनुराग के कारण ही आज विश्व के प्रतिष्ठित 200 विश्वविद्यालयों में ब्रिटेन के 21 तथा जर्मनी के 10 विश्वविद्यालयों को स्थान मिला। भारत इस सूची में कोई स्थान नहीं पा सका। हाल ही में जारी विश्व के विश्वविद्यालयों की वरियता सूची में भारत के शीर्ष संस्थान आई.आई.टी., दिल्ली को 328वाँ स्थान मिला है।

आज सिद्धान्तहीन राजनीति के चलते शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला पाना मुश्किल है फिर भी शैक्षणिक गुणवत्ता में निरन्तर आ रही गिरावट को रोकने के लिए सार्थक प्रयास तो करने ही होंगे। सेवानिवृत व्यापक आधार वाल शिक्षाविदों, भाषा विशेषज्ञों, विधि विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों, शिल्पशास्त्रियों तथा शिक्षा प्रेमी उद्योगपतियों का एक नॉलेज बैंक बनाया जाना चाहिए जो आवश्यकता महसूस किये जाने पर शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण, वीक्षण, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं प्रबन्धन के मामलों में दिशा निर्देश देने का काम कर सकें।

विज्ञान के विद्यार्थियों की भांति कला एवं वाणिज्य के विद्यार्थियों को भी व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना जरूरी है। पुरातत्व, मौसम, पर्यावरण, भाषा, बीमा, बैंक तथा कृषि आदि मंत्रालयों के सहयोग से सम्बन्धित विषय की प्रयोगशालायें स्थापित किये जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थियों को विशेषज्ञ सेवाएं मिल सक, उनके कौशल मे वृद्धि की संभावनाएं बढ़ सकें तथा अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय अर्हताओं को प्राप्त किया जा सके। ये प्रयोगशालाएं जिलास्तर पर मंत्रालयों के विभागों में स्थापित की जानी चाहिए जहाँ सभी शिक्षण संस्थानों के विषय ये सम्बन्धित विद्यार्थी अपना व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने जा सकें वाणिज्य के विद्यार्थियों को बीमा, बैंक तथा विभिन्न उद्योगो में किये जा रहे कार्यों का समय–समय पर अवलोकन कराया जाना सुनिश्चित किये जाने की जरूरत है। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो शिक्षकों को विषय से सम्बन्धित अत्याधुनिक जानकारी रखनी होगी जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। यह तभी संभव होगा जब विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न मत्रालयों से संपर्क साधकर पाठयक्रम में इसका समावेश कर दिया जाये। जहाँ तक संभव हो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किये जाने वाले पाठ्यक्रम एक समान होने चाहिए जिससे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संस्था बदलने पर होने वाली असुविधा से बचा जा सके। तकनोकी संस्थानों में स्तरीय प्रयोगशालाआ का होना एक अपरिहार्य शर्त है। यदि वित्तोय साधनों के अभाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालायें नहीं बनाई जा सकें तो औद्योगिक घरानों की मदद ली जा सकती है। संस्थानों का दिमाग तथा घरानों का धन एक अभिनव परिवर्तन ला सकते हैं, जिसकी देश को आज जरूरत है। एक निश्चित करार के तहत औद्योगिक घरानों के अधिकारी तथा कर्मचारी भी इन प्रयोगशालाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज के इस प्रतिस्पर्द्धा के युग में विधिक, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, रोजगारोन्मुखी, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं नैतिकता की शिक्षा देने वाले पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर न्यूनतम जमीन का अधिकतम उपयोग किया जाना समय की मांग है। सस्थाओं द्वारा बहुमंजिले शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन बनाये जाने चाहिए। जिन शिक्षण संस्थाओं के पास भूमि अभाव के कारण खेल मैदान नहीं है अथवा जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा खेल मैदान विकसित नहीं किये जा सके हैं उन संस्थाओं के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा बनाये गये खेल स्टेडियम में खेल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना न केवल संस्था के हित में है अपितु राष्ट्रहित में है। सरकार द्वारा नियुक्त हर खेल से सम्बन्धित प्रशिक्षक को स्टेडियम में खेल समय पर उपस्थित रहने के लिए पाबन्द किया जाना चाहिए। शिक्षा के साथ–साथ खेल भी आवश्यक हैं महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत एन.सी.सी. के विद्यार्थियों का सैन्य अधिकारियों से पूर्वानुमति लेकर सेना द्वारा किये जाने वाले युद्धाभ्यासों में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि रक्षा की दूसरी पंक्ति मजबूती से तैयार हो सके।

अधिकांश संस्थानों के पुस्तकालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हाती। इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों व पर्यावरणविदों की समाजोपयोगी पुस्तकों, शोधग्रंथों तथा संदर्भ पुस्तकों का नितांत अभाव बना रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व है कि वह अपने स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय बनाये तथा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकों का संकलन करे। सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के तहत विद्यार्थियों को इन पुस्तकालयों में संकलित पुस्तकों के अध्ययन का लाभ दिया जाना विद्यार्थियों के लिये लाभप्रद एवं शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राहत भरा कदम होगा। यदि सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो तो दानदाताओं से सम्पर्क किया जा सकता है।

निजी शिक्षण संस्थाओं की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए तथा एक निश्चित अवधि में सरकारी संस्थानों की भांति इनका सरकार से स्थायी मान्यता, विश्वविद्यालय में स्थायी सम्बद्धता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पंजीयन तथा मूल्यांकन एवं प्रत्यावर्तन परिषद (नैक) से श्रेणीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये कदम शिक्षा स्तर में आ रही गिरावट को रोकने के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। इन प्रावधानों का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं द्वारा पूर्व निर्धारित अवधि पश्चात् तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये जाने चाहिए। स्तरीय प्रयोगशालायें, समृद्ध पुस्तकालय एवं खेल सुविधाओं से परिपूर्ण खेल मैदान इन संस्थाओं द्वारा पालन करने वाले प्रावधानों की पूर्वापेक्षायें हैं।

आज शिक्षक की भूमिका पर सवाल उठाय जा रहे हैं। कतिपय शिक्षकों को तो राजनीतिक दलों के सक्रिय कार्यकर्ता होने का गौरव प्राप्त है। ये लोग प्रखर शिक्षविदों के विवेकपूर्ण चिन्तनों की सरेआम अवहेलना

करते ह, आलोचना करते हैं। इनकी निष्ठायें राजनोतिक आकाओं के प्रति रही हैं न कि उन संस्थाओ के प्रति जहां वे कार्यरत हैं। कुछ समान विचारधारा वाले विद्यार्थी इनका दामन थाम लेते हैं। राजनेता, शिक्षक तथा विद्यार्थी की इस दुरभिसंधि के विकास एवं विस्तार का ही परिणाम है कि आज महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय राजनीति के अखाड़े बन चुके हैं। अधिकांश शिक्षका द्वारा लिखी गई पुस्तकों में विषयवस्तु की गहराई, प्रस्तुतीकरण की खूबसूरती तथा साहित्य साधना की बेहद कमी झलकती है। अनुवादित पुस्तकों में विषयवस्तु की मौलिकता ही नष्ट कर दी जाती है। स्तरहीन शोधग्रन्थों का विश्वविद्यालयों में ढेर लगा हुआ है। पाठ्यक्रमों म उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विषयवस्तु का समावेश नहीं है जो उपाधियाँ अनवरत् व अथक प्रयासों के बाद मिला करती थी वे आज सहज सुलभ है जो शिक्षकों द्वारा शिक्षण तथा वीक्षण कार्यों में बरतो जा रही लापरवाही व विनाशकारी उदासीनता को उजागर करती है। समाज उनके विरूद्ध कायवाही होते देखना चाहता है। उसके लिए समाज में सुचिता लाना जरूरी है। विद्यार्थियों को भी संभलना होगा। विद्यार्थी पढ़ते नहीं इसलिए शिक्षक पढ़ाते नहीं जैसी दार्शनिक अभिव्यक्ति को बदलना होगा। शिक्षकों के गोपनीय प्रतिवेदन में विद्यार्थियों की टिप्पणियों को उचित भार मिलना चाहिए।

इससे संस्था प्रधान को एक दिशा मिल सकगी। संस्था प्रधान को अनुशासनप्रिय तथा सत्यनिष्ठ शिक्षक की पहचान होनी चाहिए। जिन शिक्षकों के लेख या शोधपत्र प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हों, जिनके अनुभवसिद्ध परामर्श समाज के लिए लाभप्रद हैं तथा जो भ्रान्त समाज के नैराश्य को दूर कर शैक्षणिक वातावरण को नई दिशा देने वाले हों, उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाना चाहिए।

शिक्षकों की कुशलता बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या की व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि पुनश्चर्या पश्चात् उनका मूल्यांकन होना जरूरी है। मूल्यांकन परिणाम महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के सूचना पट्टों पर दर्शाये जाने जरूरी हैं। असफल शिक्षकों की पद्दोन्नति रोकना तथा बार बार असफल रहने वाले शिक्षकों को हटाये जाने के प्रावधान करना समाज हित में होगा।

तकनीकी संस्थानों से उर्त्तीण होकर निकलने वाले विद्यार्थियों पर सरकार खूब धन खर्च करती है इसलिए ऐसे लोगों से कुछ निश्चित अवधि तक देश तकनीकी संस्थानों में अध्यापन कार्य करने की अनिवार्यता बाबत करार करना चाहिए ताकि उनके द्वारा अर्जित अत्याधुनिक ज्ञान के साथ विद्यमान क्षमताओं का लाभ तकनीकी संस्थानों को मिल सके। करार में राष्ट्रहित एवं समाजोपयोगी शर्तों का समावेश जरूरी है।

संस्थाओं तथा सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किय जाने वाले नये–नये प्रयोगों, निष्कर्षों की एवं कार्यशालाओं तथा प्रसार भाषणो के माध्यम से प्रखर विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मौलिक विचारों की जानकारी हर संस्था को मिले इसके लिए राज्यों को जोड़ने वाले नॉलेज कोरीडोर बनाये जाने की जरूरत है। नॉलेज कोरीडोर बन जाने से शिक्षकों की भौगोलिक सीमा का विस्तार होगा, विचारा को गतिशीलता तथा शैक्षणिक वातावरण को नई दिशा व उर्जा मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तथा शिक्षक अपना अपना दायित्व समर्पित भाव से निभायेंगे तथा उच्च शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट को रोक पायेंगे।

संदभ

1. एम.एच.आर.डी. की स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015–16
2. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विधेयक–2015
3. विफल हो गई विष्वविद्यालय प्रणाली–राजस्थान पत्रिका 13 मई, 2015
4. कल्याण 88 वार्षिक अंक–माह अप्रल, 2014
5. सेटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिग्स–हिन्दुस्तान–24 जुलाई, 2015